

अध्याय-3

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-3

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय संरचना के अनुपालन लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में त्रुटियाँ तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के नियमों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत पाये गये। इनको विस्तृत उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों, आदेशों आदि का अनुपालन नहीं

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार व्यय हो। यह न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग एवं धोखेबाजी को रोकता है वरन् अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। नियमों, आदेशों आदि की अवहेलना पर कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1.1 अग्रिम के असमायोजन के कारण संदेहास्पद दुर्विनियोजन

कार्यपालक अभियंता द्वारा अग्रिम प्रदान करने में संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण अपूर्ण भवन पर ₹ 0.93 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावे ₹ 0.57 करोड़ का संदेहास्पद दुर्विनियोजन हुआ।

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 100 में प्रावधान है कि जब एक संवितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को मस्टर रॉल या दूसरे प्रमाणकों पर छोटी-मोटी भुगतान हेतु राशि देता है तो इसे अस्थायी अग्रिम माना जाना चाहिए तथा प्रपत्र-2 (अनुसूची XLV-प्रपत्र सं-113) में लेखांकित होना चाहिए। जितनी जल्दी संभव हो, अग्रिमों की वसूली अथवा समायोजन के पश्चात कार्यपालक अभियंता (का.अ.) द्वारा अग्रिमों के लेखा को बंद कर देना चाहिए। सरकार के आदेशानुसार¹ (दिसम्बर 1983) इस तरह के अस्थायी अग्रिम का लेखा अग्रिम प्राप्ति की तिथि से एक माह के अंदर समर्पित कर दिया जाना चाहिए एवं अगला अग्रिम, कार्य की प्रगति के मूल्यांकन एवं पिछले अग्रिमों के समायोजन के उपरांत ही स्वीकृत की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.चि.शि.प.क.वि.), झारखंड सरकार द्वारा 30 बिस्तर वाले मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, हजारीबाग के निर्माण हेतु ₹ 3.54 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) (दिसम्बर 2007) प्रदान की गई थी तथा दिसम्बर 2007 तथा मई 2012 के बीच ₹ 2.75 करोड़² उपायुक्त, हजारीबाग एवं कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (ग्रा.वि.वि.प्र.),

¹ तकनीकी निगरानी प्रकोष्ठ, कैबिनेट (निगरानी) विभाग का पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 1983

² का.अ. को ₹ 1.50 करोड़-2007-08, उपायुक्त को ₹ 1.25 करोड़-2011-13

हजारीबाग को विमुक्त किया गया। इस ₹ 1.25 करोड़ में से उपायुक्त द्वारा ₹ 0.25 करोड़ का.अ., ग्रा.वि.वि.प्र. को कार्य के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त किया गया।

ग्रा.वि.वि.प्र., हजारीबाग के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2015) से पता चला कि का.अ. ने योजना के कार्यान्वयन हेतु सात किस्तों में ₹ 1.50 करोड़ (मई 2008 एवं मार्च 2009 के बीच) दो सहायक अभियंताओं (स.अ.) को अग्रिम प्रदान की गई। हालांकि, किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन तथा पूर्व के अग्रिम के समायोजन के पश्चात् द्वितीय तथा अनुगामी अग्रिमों को प्रदान करने के लिए संहिता की धारा के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

हमने पाया कि वित्त विभाग के निर्देशोपरांत जिसमें विभागीय रूप से कार्य करने पर प्रतिबंध था, के कारण कार्यकारी अभिकरण द्वारा ₹ 1.50 करोड़ का कार्य करने के बाद कार्य को रोक दिया (अगस्त 2009) गया। संयुक्त निरीक्षण समिति³ (अप्रैल 2012) ने मापी में पाया कि केवल ₹ 0.93 करोड़ का कार्य किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 0.57 करोड़ के अंतर का न तो कार्य कार्यान्वित किया न ही कार्यकारी अभिकरण के पास नगद या सामग्री संसाधनों के रूप में उपलब्ध था। हालांकि, स.अ. के अनुरोध पर उप-विकास आयुक्त, हजारीबाग द्वारा मामले का पुनः जाँच हेतु एक दल का गठन (अगस्त 2013) किया लेकिन जाँच प्रतिवेदन नवम्बर 2015 तक समर्पित नहीं की गयी थी। दो साल से अधिक समय तक कोई कार्यवाही न होना, संयुक्त निरीक्षण समिति के प्रारम्भिक निष्कर्षों को छुपाने एवं संसाधनों के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, अग्रिम देने में संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन और जाँच में विलंब होने से अपूर्ण भवन पर ₹ 0.93 करोड़ का निष्फल व्यय के अलावा ₹ 0.57 करोड़ का संदेहास्पद दुर्विनियोजन हुआ।

इंगित किये जाने पर, का.अ. ने कहा (जनवरी 2015) कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जाएगा एवं अग्रिम की वसूली हेतु कदम उठाए जाएँगे। छः वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी का.अ./स.अ. के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई और लेखापरीक्षा द्वारा चूक उद्घटित किए जाने पर आगे की कार्रवाई देखा जायेगा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2015); स्मारपत्रों⁴ के बावजूद उनके जवाब अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

3.2 औचित्य/बिना औचित्य के व्यय की लेखापरीक्षा

लोक निधि से होने वाले व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धांत से मार्गदर्शित किया जाना चाहिए। प्राधिकारियों, जिनमें व्यय करने की शक्ति

³ अपर समाहर्ता, हजारीबाग और का.अ., भवन प्रमंडल, हजारीबाग।

⁴ स्मार पत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2014-15/95 दिनांक: 5 अगस्त 2015, 206 दिनांक: 8 सितम्बर 2015, 245 दिनांक: 12 अक्टूबर 2015 और 252 दिनांक: 6 नवम्बर 2015

निहित है, से आशा की जाती है कि व्यय करते समय वे वैसी ही सतर्कता बरतें जैसा कि सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति स्वयं के पैसे को खर्च करते समय बरतता है तथा उन्हें प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेश एवं सशक्त मितव्ययिता को लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य एवं अधिकाई व्यय के उदाहरणों का पता लगाया जिसमें से कुछ का वर्णन यहाँ नीचे किया जा रहा है:

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

3.2.1 अतिरिक्त भुगतान

दिशा निर्देशों की शर्तों का पालन नहीं होने से 1.72 लाख हेक्टेयर बिना बोये हुए क्षेत्र के विरुद्ध ₹ 93.03 करोड़ की बीमा दावों की हिस्सेदारी का अधिक भुगतान

अनिवारणीय जोखिम⁵ से उपज के नुकसान की भरपाई करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (ए.आई.सी.) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन पूर्व परिभाषित स्तर से आगे भारत सरकार एवं राज्य सरकार 50:50 के आधार पर दावे का भुगतान करती है। सरकार अपने जोखिम दायित्व के अधीन पड़ने वाले दावों की जाँच/परीक्षण करने का विकल्प भी चुन सकती है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि विभाग/सांख्यिकी/जिला प्रशासन को जिला स्तरीय निगरानी समिति (डी.एल.एम.सी.) का गठन करना था जो कृषि बीमा कंपनी को बोये हुए क्षेत्र, मौसम की स्थिति, फसल की विफलता में कीट लगने के कारण (यदि हो तो) का विस्तृत विवरण सहित कृषि की स्थिति का एकपाक्षिक प्रतिवेदन ए.आई.सी. को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाओं से मौसमी कृषि संचालन ऋण प्राप्त सभी ऋणी किसानों के लिए बीमा आच्छादन अनिवार्य है। लेकिन बिना बोये हुए क्षेत्र के लिए दिए गए ऋण इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होगा, चूंकि क्षतिपूर्ति दावे फसल बोने तथा फसल की असफलता की स्थिति के बाद ही इस योजना के अन्तर्गत उठेंगे। केवल वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण का संवतिरण योजना के अन्तर्गत किसानों को क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं बनाएगा।

हमलोगों ने पाया कि राज्य में जिला स्तरीय निगरानी समिति (डी.एल.एम.सी.) का गठन नहीं किया गया। पुनः निबंधक, सहकारी समितियाँ, झारखण्ड, राँची के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2015) तथा कृषि बीमा कंपनी (ए.आई.सी.) द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़ों⁶ के विश्लेषण से पता चला कि बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित किसानों जिनके फसल खतरों से प्रभावित घोषित किये गये थे, का बीमा

⁵ प्राकृतिक आग एवं तड़ित, आंधी, वृष्टि, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, तूफान, अंधड़ बवण्डर, बाढ़, आप्लावन, भूस्खलन, सूखा, सूखा काल, कीट/बीमारी इत्यादि।

⁶ 3,83,333.39 हेक्टेयर (अगहनी धान- 3,71,206.98 हेक्टेयर वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2012-13 के लिए एवं भदई मक्का: 12,126.41 हेक्टेयर वर्ष 2009-10 के लिए) ।

दावों के लिए राज्य (तथा केन्द्र) की हिस्सेदारी का अधिक भुगतान नोडल बैंक ने अग्रसारित किया और कृषि बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया। कृषि बीमा कंपनी द्वारा ₹ 189.82 करोड़⁷ के बीमा दावे का भुगतान फसल बुआई क्षेत्र के आधार पर था जैसा कि जो संबंधित बैंकों के घोषणा-पत्र में समर्पित किया गया था।

जब दावे के भुगतान में अन्तर्निहित आँकड़े की तुलना दूसरे निदेशालय अर्थात् आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना एवं विकास विभाग (ई.एस.पी.डी.डी.) द्वारा संकलित आँकड़ों⁸ से किया गया तो फसल एवं जिला⁹ के एक ही संयोजन के लिए बोये गए क्षेत्र में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई गई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

आँकड़ों का स्रोत	बुआई क्षेत्र (हेक्टेयर में)		कुल
	अगहनी धान	भदई मक्का	
कृषि बीमा कंपनी	371206.98	12126.41	3,83,333.39
ई.एस.पी.डी.डी.	201654.00	9305.00	2,10,959.00
अतिरिक्त	169552.98	2821.41	1,72,374.39

कृषि बीमा कंपनी और सहकारिता विभाग द्वारा अधिक क्षेत्र में बुआई को स्वीकार किया गया जिससे 1,72,374.39 हेक्टेयर के संबंध में जो ई.एस.पी.डी.डी. द्वारा प्रतिवेदित नहीं था ₹ 93.03 करोड़ (अगहनी धान ₹ 92.14 करोड़ एवं भदई मक्का ₹ 0.89 करोड़) का अधिक भुगतान किया गया (परिशिष्ट-3.2.1)।

सहकारिता विभाग द्वारा बुआई क्षेत्र की तुलना ई.एस.पी.डी.डी. के आँकड़े से नहीं की गई, जो कम थे। झारखण्ड सरकार का हिस्सा, ₹ 10.07 करोड़ की प्रीमियम राशि छोड़कर, ₹ 82.96 करोड़ के शुद्ध भुगतान का 50 प्रतिशत (₹ 41.48 करोड़) था। कृषि बीमा कंपनी द्वारा योजना के तहत किए गए दावे का भुगतान के संबंध में किसी प्रकार की जाँच करने में विभाग विफल रहा।

पुनः, निदेशक, ई.एस.पी.डी.डी. वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान बुआई क्षेत्र के लिए आँकड़ा प्रस्तुत नहीं कर सका। बुआई क्षेत्र के विवरण के अभाव में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए बीमा दावे का अतिरिक्त भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका। निदेशक, ई.एस.पी.डी.डी. द्वारा कहा गया कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए बुआई क्षेत्र का आँकड़ा भारत सरकार को प्रतिवेदन सौंपे जाने के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा।

⁷ वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2012-13 में अगहनी धान के लिए ₹ 185.84 करोड़ एवं वर्ष 2009-10 में भदई मक्का के लिए ₹ 3.98 करोड़

⁸ 2,10,959 हेक्टेयर (वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के लिए अगहनी धान 2,01,654 हेक्टेयर तथा वर्ष 2009-10 के लिए भदई मक्का- 9,305 हेक्टेयर)

⁹ वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के लिए नौ जिलों - चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में अगहनी धान तथा वर्ष 2009-10 में तीन जिले- देवघर, गढ़वा, साहेबगंज में भदई मक्का

निबंधक, सहकारी समितियाँ, झारखण्ड द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया गया और उत्तर में कहा (जुलाई 2015) कि कृषि बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर कृषि बीमा दावा का भुगतान किया जा रहा था और ई.एस.पी.डी.डी. द्वारा बुआई क्षेत्र से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।

इस प्रकार दिशानिर्देशों में उल्लेखित नियंत्रण का पालन न होने के कारण 1,72,374.39 हेक्टेयर के विरुद्ध ₹ 93.03 करोड़ की बीमा हिस्से के दावा का अतिरिक्त भुगतान किसानों को किया गया जिसे बुआई क्षेत्र के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था।

विभाग ने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया (अक्टूबर 2015)।

ग्रामीण विकास विभाग

3.2.2 अपव्यय

संवेदक को ₹ 18.22 लाख के अनुचित लाभ के अलावे अपूर्ण पुल पर ₹ 1.30 करोड़ का अपव्यय।

लातेहार प्रखण्ड के तुबेद नदी पर जी.टी. मोरम सड़क आर.सी.सी. पुल के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, राँची द्वारा ₹ 2.06 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मई 2007), क्रियान्वयन के लिए कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य प्रमंडल, लातेहार को दी गयी। का.अ. द्वारा ₹ 30.47 लाख के अनुपूरक एकरारनामा के साथ ₹ 1.67 करोड़ का एक एकरारनामा एक संवेदक से कार्य को अक्टूबर 2008 तक पूरा करने के लिए सम्पादित किया गया।

ग्रामीण कार्य प्रमंडल, लातेहार के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2014) से उद्घटित हुआ कि संवेदक ने ₹ 1.30 करोड़¹⁰ मूल्य के कार्य को कार्यान्वित किया और उसके बाद कार्य को रोक दिया (मई 2009)। संवेदक से दीर्घ पत्राचार और समाचार पत्र में सूचना के बाद भी संवेदक द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, कार्य का अंतिम माप लिया गया (जून 2012) तथा करार को रद्द कर दिया गया (दिसम्बर 2012)। संवेदक को काली सूची में डालने तथा ₹ 16.54 लाख की अग्रधन और जमानत राशि¹¹ को भी जब्त करने हेतु अनुशंसा की गई। लेकिन का.अ. द्वारा केवल ₹ 1.39 लाख ही जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त, संवेदक को ₹ 3.07 लाख के अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गई। इस बीच, अपूर्ण पुल के तीन पियरों में दरार पैदा हो गया, जिसे मरम्मत के लिए नहीं लिया गया।

इस प्रकार, छः वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कार्य अपूर्ण रहने के कारण ₹ 1.30 करोड़ का अपव्यय हुआ। ₹ 3.07 लाख के अधिक भुगतान की गैर-वसूली और ₹ 15.15 लाख की अग्रधन तथा जमानत राशि की गैर-जबती ठेकेदार के पक्ष में करने के उद्देश्य का पता चलता है।

¹⁰ ₹ 1.33 करोड़ (₹ 1,09,19,584 + ₹ 24,17,506) (पूर्ण व्यय)- ₹ 0.03 करोड़ (अधिक भुगतान)

¹¹ अग्रधन- ₹ 9,86,000 और जमानत राशि- ₹ 6,68,416

इंगित किए जाने पर, का.अ. ने कहा (अगस्त 2015) कि मुख्य अभियंता के निर्देश (मई 2015) के अनुसार वर्तमान संरचना को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाना है। हालांकि, जवाब में अंकेक्षण द्वारा उठाये गये विशेष स्थिति को टाला गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2015); स्मारपत्रों¹² के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

पथ निर्माण विभाग

3.2.3 अनधिकृत उपकरण अग्रिम

ठेकेदारों को उपकरण अग्रिम की स्वीकृति में कार्यपालक अभियंताओं, सहायक अभियंताओं तथा कनीय अभियंताओं द्वारा स्टेण्डर्ड बीडिंग डॉक्यूमेंट (एस.बी.डी.) के प्रावधानों के पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.14 करोड़ का अनधिकृत भुगतान

स्टेण्डर्ड बीडिंग डॉक्यूमेंट¹³ (एस.बी.डी.) अनुबंध की धारा 51.1 के अनुसार नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को अनुबंध डेटा में उल्लिखित राशि तक अग्रिम भुगतान करेगा। अनुबंध डेटा की कंडिका 32 के अनुसार ठेकेदार द्वारा क्रय किए गए नए उपकरण के मूल्य का 90 प्रतिशत तथा पुराने उपकरण के हासित मूल्य का 50 प्रतिशत तक अधिकतम अनुबंध की कीमत का 5 प्रतिशत तक उपकरण अग्रिम दिया जाता है। पुनः अनुबंध की शर्तों के खण्ड 51.2 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा कार्य के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट आवश्यक उपकरण एवं संयंत्र के लिए अग्रिम भुगतान का प्रयोग करेगा तथा बीजकों की प्रतिलिपियाँ या अन्य दस्तावेज नियोक्ता को उपलब्ध कराएगा।

सड़क एवं उच्च पथ परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार तथा पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ (एन.एच.) 75(ई) के कि.मी. 142 से 176 तक का चौड़ीकरण एवं सुधार तथा केसामोड़-टांगरबसली-माण्डर पथ के (00 से 18.95 कि.मी. तक) पुनर्निर्माण के लिए ₹ 80.70 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 2010 से मार्च 2013) प्रदान किया। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा एन.एच. 75(ई) के कि.मी. 142 से 176 तक द्विपथीय चौड़ीकरण तथा सुधार के लिए एक ठेकेदार¹⁴ के साथ ₹ 46.94 करोड़ के लिए एकरारनामा किया (दिसम्बर 2010), जबकि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल राँची¹⁵ द्वारा

¹² स्मारपत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2014-15/133 दिनांक: 27 अगस्त 2015, 231 दिनांक: 28 सितम्बर 2015 और 258 दिनांक: 6 नवम्बर 2015

¹³ स्टेण्डर्ड बीडिंग डॉक्यूमेंट पथ निर्माण विभाग द्वारा, ₹ 2.50 करोड़ से अधिक की लागत के परियोजनाओं के लिए, अधिगृहित एक बीडिंग डॉक्यूमेंट है।

¹⁴ मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लि.

¹⁵ पुनः कार्य का हस्तांतरण पथ प्रमण्डल, लोहरदगा को किया गया।

केसामोड़-टांगरबसली-माण्डर पथ के पुनर्निर्माण के लिए दूसरे ठेकेदार¹⁶ के साथ ₹ 30.74 करोड़ का दूसरा एकरारनामा किया (जून 2013)।

कार्यपालक अभियंताओं, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, चाईबासा (अगस्त 2014) तथा राँची पथ प्रमण्डल से विभाजित पथ प्रमण्डल, लोहरदगा (मई 2015) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो ठेकेदारों¹⁷ को उपकरण अग्रिम के रूप में ₹ 3.85 करोड़ का भुगतान किया गया (दिसम्बर 2010 से सितम्बर 2013), उनमें से ₹ 2.99 करोड़¹⁸ का भुगतान एकरारनामों की तिथियों से पूर्व के अधिकृत उपकरण एवं संयंत्र के विरुद्ध किया गया।

पुनः कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा ₹ 1.15 करोड़ का उपकरण अग्रिम के रूप में (अगस्त 2015) दूसरे ठेकेदार को पूर्व में भी तीन कार्यों¹⁹ के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त उपकरण अग्रिम में प्रयुक्त बीजकों के विरुद्ध भुगतान किया गया। ये सब अग्रिम कपटपूर्ण भुगतान का मामला स्थापित करता है, क्योंकि एक बार प्रयुक्त बीजक अमान्य थे। पुनः इन बीजकों की जाँच आसानी से की जा सकती थी, क्योंकि इस प्रकार का दुरुपयोग के विरुद्ध जाँच के लिए सूचना कार्यालय संचिकाओं में उपलब्ध थी (परिशिष्ट-3.2.2.)।

इस प्रकार, ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान की स्वीकृति में एस.बी.डी. के प्रावधानों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.99 करोड़ का अनुचित लाभ तथा ₹ 1.15 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

इंगित किए जाने पर कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा कहा गया कि मामला भविष्य में मार्गदर्शन के लिए अंकित किया गया, जबकि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, लोहरदगा द्वारा उत्तर में कहा गया कि उपकरण अग्रिम का भुगतान कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, राँची द्वारा किया गया था और उसके साथ पत्राचार किया जायेगा।

मामला सरकार को संदर्भित है (जुलाई 2015); स्मार पत्रों²⁰ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

¹⁶ मेसर्स एस.के.एस.एम.सी. ज्वायंट वेंचर।

¹⁷ मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लि., ₹ 2.35 करोड़ तथा मेसर्स एस.के.एस.एम.सी. ज्वायंट वेंचर ₹ 1.50 करोड़

¹⁸ मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लि., ₹ 2.35 करोड़ तथा मेसर्स एस.के.एस.एम.सी. ज्वायंट वेंचर ₹ 0.64 करोड़

¹⁹ उच्च राजपथ 75 (ई) के 177 से 202 कि.मी. में आवधिक मरम्मत की करार संख्या: एस.बी.डी.-2/2013-14 दिनांक 05 मार्च 2014 उच्च राजपथ 75 (ई) के 129 से 142 किमी में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की करार संख्या: एस.बी.डी.-3/2013-14 दिनांक 05 मार्च 2014 और उच्च राजपथ 75 (ई) के कि.मी. 75/5, 82/1, 82/2, 84/5, 86/3, 88/4, 89/6 एवं 95/2 में पुल निर्माण कार्य की करार संख्या एस.बी.डी.-4/2013-14 दिनांक 05 मार्च 2014

²⁰ स्मार पत्र-संख्या: रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2014-15/124 दिनांक-21 अगस्त 2015, 223 दिनांक-22 सितम्बर 2015 तथा 259 दिनांक-6 नवम्बर 2015

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.2.4 अनियमित भुगतान

राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स) ने रिम्स अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन के बिना इसके आंतरिक प्राप्तियों से ₹ 8.21 करोड़ का भुगतान किया।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम, 2002, की धारा 14 (v) के अनुसार, रिम्स के कर्मचारियों के सेवा शर्तें राज्य सरकार के असैन्य (सिविल) सेवकों के समान रहेगी जब तक कि रिम्स के लिए पृथक से सेवा नियमों के संग्रह का अनुमोदन इसके द्वारा नहीं कर लिया जाता है। राज्य सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आवासीय चिकित्सक योजना के मानदण्डों के अनुसार कनिष्ठ/वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को गैर व्यवसायिक भत्ता (एन.पी.ए.) देना (1 मई 2004) तय किया (अक्टूबर 2004)। रिम्स को एन.पी.ए. के भुगतान के परिणामस्वरूप होने वाले वित्तीय बोझ को सहने हेतु सहायता अनुदान देने का निर्णय भी किया गया। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 (xv) और 12 (viii) रिम्स की शासी निकाय को रिम्स के आंतरिक प्राप्तियों को केवल संस्थान के रख-रखाव और विकास के लिए उपयोग की अनुमति देती है।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए रिम्स द्वारा एन.पी.ए. के भुगतान को रोक दिया जैसा कि क्रमशः मई 2012, मार्च 2013 और सितम्बर 2013 के बजट आवंटन पत्रों में कहा गया। फिर भी, बिना प्राधिकार के रिम्स के निदेशक, के आदेश से अप्रैल 2012 से मार्च 2014 के बीच रिम्स अपने आंतरिक प्राप्तियों से कनिष्ठ/वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को एन.पी.ए. के रूप में ₹ 8.21 करोड़ का भुगतान किया। लेकिन भुगतान करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य सरकार ने, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि आंतरिक प्राप्तियों से एन.पी.ए. का भुगतान अनियमित था, अप्रैल 2012 से मार्च 2014 के बीच भुगतान किए गए एन.पी.ए. का या तो वसूली हेतु या नियमितीकरण पर प्रतिवेदन देने के लिए एक तीन²¹ सदस्यीय समिति के गठन का आदेश (अक्टूबर 2014) दिया। लेकिन इस तरह से समिति का गठन जुलाई 2015 तक नहीं किया गया था।

इस प्रकार, रिम्स अधिनियम, 2002 का उल्लंघन करते हुए रिम्स ने अपने आंतरिक प्राप्तियों से राशि को दुरुपयोग करते हुए ₹ 8.21 करोड़ का एन.पी.ए. का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मई 2014) पर, निदेशक, रिम्स ने कहा (दिसम्बर 2014) कि संस्थान के चिकित्सक एन.पी.ए. के भुगतान के लिए दबाव बना कर लगातार आंदोलन तथा धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कई बार हड़ताल पर

²¹ विकास आयुक्त, वित्त सचिव और स्वास्थ्य सचिव

जाने की धमकी भी दी। अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एन.पी.ए. का भुगतान किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निदेशक द्वारा इसके आंतरिक प्राप्तियों से एन.पी.ए. का भुगतान रिम्स अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन था और निदेशक ने प्रदत्त शक्ति से बाहर जाकर एक वित्तीय निर्णय लिया गया था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2015); उनके उत्तर स्मार पत्रों²² के बावजूद अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

कल्याण विभाग

3.2.5 अनियमित व्यय

पुस्तक अधिकोष योजनान्तर्गत बिना लक्षित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभुकों की संख्या के ₹ 3.10 करोड़ का व्यय पुस्तकों के क्रय पर अनियमित रूप से किया गया।

केन्द्र प्रायोजित पुस्तक अधिकोष योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संकायों यथा चिकित्सा, अभियंत्रण, कृषि, पशु चिकित्सा, विधि, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी इत्यादि उन अनु.जा./अनु.ज.जा²³ छात्रों के लिए पुस्तक अधिकोष स्थापित करना था जो पर्याप्त राजकीय सहायता के बिना महंगे शिक्षा का भार वहन नहीं कर सकते थे। पुस्तक अधिकोष के लिए पुस्तकों का क्रय पूर्ण पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों तक सीमित था और चिकित्सा संकाय के एक सेट पुस्तकों को स्ना.को.²⁴ अंतर्गत दो छात्रों के लिए और स्ना.को.²⁵ के लिए एक छात्र को निर्गत करने के लिए ₹ 7,500 सीमित था।

जि.क.का.²⁶ जमशेदपुर के अभिलेखों के जाँच से पता चला (मार्च 2015) कि वर्ष 2010-15 के दौरान म.गाँ.मे.²⁷ चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के अनु.जाति/अनु.ज. जाति के छात्रों के लिए पुस्तकों के क्रय हेतु ₹ 3.27 करोड़²⁸ का आवंटन प्रदान किया गया था जिससे 13,538 पुस्तकों का क्रय किया गया।

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2010-15 के दौरान स्नातक कोर्स के लिए 416 अनु.जा./अनु.ज.जा. छात्र और स्नातकोत्तर कोर्स के लिए 19 अनु.जा./अनु.जा.जा. छात्र थे जैसा परिशिष्ट-3.2.3 में वर्णित है।

²² स्मार पत्र : पत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2014-15/122 दिनांक 21 अगस्त 2015, 225 दिनांक 22 सितम्बर 2015 और 260 दिनांक 6 नवम्बर 2015.

²³ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति

²⁴ स्नातक

²⁵ स्नातकोत्तर

²⁶ जिला कल्याण कार्यालय

²⁷ महात्मा गाँधी मेमोरियल

²⁸ 2010-11-₹ 25.00 लाख, 2011-12-₹ 79.00 लाख, 2012-13- ₹ 100.00 लाख, 2013-14- ₹ 48.00 लाख और 2014-15-₹ 75.00 लाख

इन छात्रों के लिए ₹ 3.27 करोड़ उपलब्ध आवंटन में से ₹ 17,02,500 (₹ 7500 x 228) के अधिकतम लागत पर पुस्तकों के 228 सेट्स (स्नातक छात्रों के लिए 209 सेट्स और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 19 सेट्स) पर्याप्त थे। लेकिन जिला कल्याण पदाधिकारी पूरा ₹ 3.27 करोड़ खर्च कर दिए जिसमें से ₹ 3.10 करोड़ का व्यय निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

इस तरह, जिला कल्याण पदाधिकारी, जमशेदपुर ने योजनान्तर्गत अनु.जा./अनु.ज.जा. लाभकों के पहचान किए बिना पुस्तकों के क्रय पर ₹ 3.10 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

मामला सरकार को संदर्भित था (जुलाई 2015); उनके जवाब स्मार-पत्रों²⁹ के बावजूद अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

3.3 दृष्टिचूक/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता

सरकार को लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का दायित्व है जिसके लिए यह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और बुनियादी संरचना के उन्नयन और जनसेवा इत्यादि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के तहत कार्य करती है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में उदाहरण पाये गये, जहाँ सरकार द्वारा सामुदायिक लाभ हेतु लोक संपदा की सृष्टि हेतु विमुक्त की गयी निधि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में असमर्थता प्रशासनिक दृष्टिचूक और संदिग्ध क्रियाओं के कारण अनुपयोगित/अवरोधित और/या निष्फल/अलाभकारी/अनुत्पादक रही। कुछ जैसे मामलों को नीचे विमर्शित किया गया है:

पथ निर्माण विभाग

3.3.1 पुल पर निष्फल व्यय

पहुँच पथ के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य की शुरुआत किये जाने के कारण निष्क्रिय पुल पर ₹ 1.90 करोड़ का निष्फल व्यय

झारखण्ड लोक कार्य निर्माण संहिता के नियम 132 के अनुसार आपातकालिन कार्य यथा दरारों की मरम्मत आदि को छोड़कर कोई भी अन्य कार्य जैसे भूमि में नहीं शुरू की जानी चाहिए जिसे एक जिम्मेदार असैनिक पदाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सुपूर्द नहीं किया गया हो। पुनः कैबिनेट सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय प्रकोष्ठ) के ज्ञापन संख्या 948 दिनांक 16 जुलाई 1986 की कंडिका संख्या 4.5 एवं 7.5 बिहार लोक निर्माण संहिता में समाहित, के अनुसार निविदा की प्रक्रिया तभी प्रारम्भ करनी चाहिए जब तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो, निधि का आवंटन सुनिश्चित कर लिया गया हो एवं भूमि का अर्जन यदि कार्य के लिए आवश्यक हो, कर लिया गया हो।

गढ़वा जिला में रेहली गढ़वा-रंका-गोढ़रमाना पथ के 41 वें कि. मी. में खारसो नदी के ऊपर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण हेतु झारखण्ड सरकार के पथ

²⁹ स्मार पत्रों: पत्र संख्या: रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2014-15/139 दिनांक 27 अगस्त 2015, 229 दिनांक 28 सितम्बर 2015 और 261 दिनांक 6 नवम्बर 2015।

निर्माण विभाग ने अक्टूबर 2012 में प्रशासनिक स्वीकृति एवं संबंधित मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण संगठन, पथ निर्माण विभाग ने नवम्बर 2012 में ₹ 2.35 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल गढ़वा ने मार्च 2013 में संवदेक से उस कार्य हेतु ₹ 2.36 करोड़ का एकरारनामा किया, जिसे मार्च 2014 तक पूरा किया जाना था।

पथ प्रमण्डल गढ़वा के प्रमंडलीय अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2015) में उजागर हुआ कि कार्यपालक अभियंता ने एकरारनामा के निष्पादन के पूर्व पुल के रेखांकण में इस आधार पर परिवर्तन का आग्रह किया (दिसम्बर 2012) कि बारिश के मौसम में प्रस्तावित डाइवर्सन एवं संचार व्यवस्था को नष्ट हो सकती है। पुनः कार्यपालक अभियंता ने सूचित किया कि इस कार्य हेतु भू-अर्जन या वन विभाग से निर्माण की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। पुल कार्य पूर्ण (सितम्बर 2014) हुआ।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी स्पष्ट हुआ कि अनुमण्डलीय वन पदाधिकारी, दक्षिण वन प्रमण्डल, गढ़वा ने उल्लेखित पहुँच पथ के निर्माण पर आपत्ति किया (मार्च 2014) चूँकि यह निर्माण कार्य वन क्षेत्र में था जिसका हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग को नहीं किया गया था। उक्त आपत्ति के पश्चात् कार्यपालक अभियंता ने 47.50 डिस्मिल वन भूमि का हस्तांतरण एवं वन भूमि पर पहुँच पथ के निर्माण की अनुमति का प्रस्ताव अनुमण्डलीय वन पदाधिकारी, गढ़वा को दिया (जून एवं अगस्त 2014)। मई 2015 तक वांछित वन भूमि का हस्तांतरण एवं निर्माण की अनुमति प्रतीक्षित था। इस दौरान पहुँच पथ का कार्य रोक दिया गया (सितम्बर 2014) जिसके कारण पूर्ण पुल अनुपयोगी एवं निष्क्रिय था। इस प्रकार, पहुँच पथ के लिए अभारित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारंभ होने के फलस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, नए पुल के निर्माण का उद्देश्य भी अप्राप्त रहा।

इंगित किये जाने पर कार्यपालक अभियंता ने कहा (मई 2015) कि पहुँच पथ के रेखांकण में परिवर्तन कार्यस्थल की स्थिति के आधार पर किया गया था एवं नए रेखांकण पर किये जाने वाले कार्य के लिए वन विभाग ने आपत्ति जतायी थी।

उत्तर से कार्यपालक अभियंता की विफलता की समपुष्टि होती है कि बिना भू-अर्जन एवं सुस्पष्ट भूमि अधिकार को सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ किया गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2015); उनके जवाब स्मार-पत्र³⁰ के बावजूद अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

³⁰ स्मार-पत्र: संख्या: रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2014-15/80 दिनांक 21 जुलाई 2015, 116 दिनांक 21 अगस्त 2015 और 217 दिनांक 22 सितम्बर 2015

गृह विभाग

3.3.2 कारागार में स्थापित जैमर सेल फोन, संचार को रोकने में विफल

सेल फोन जैमर का अधिष्ठापन और इसे 3जी तकनीकी में उन्नयन के लिए पर्याप्त संविदा करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 7.55 करोड़ व्यय करने के बावजूद कैदियों के संचार व्यवस्था को अवरुद्ध करने के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया

झारखण्ड में अंगीकृत बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 30 के अनुसार संविदा की शर्त संक्षिप्त, निश्चित, बिना द्वयर्थकता के तथा संविदा के मानक प्रपत्र में अंगीकृत किया जाना चाहिए। झारखण्ड सरकार ने कैदियों के मोबाइल संचरण को अवरुद्ध करने के लिए सभी जेलों में नवीनतम सेल फोन जैमर³¹ का अधिष्ठापन करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2008)। मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इण्डियन लि. हैदराबाद (ई.सी.आई.एल.) द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण प्रतिवेदन (अगस्त 2008) के आधार पर गृह विभाग द्वारा 18 जेलों³² में 43 जैमरों की अधिष्ठापन हेतु ₹ 12.17 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी (फरवरी तथा जुलाई 2009)। कारा महानिरीक्षक (आई.जी) ने ई.सी.आई.एल. हैदराबाद को क्रयादेश निर्गत किया (फरवरी 2009) तथा 18 जेलों में 36 वाचटावर के निर्माण और 43 जैमरों के अधिष्ठापन के लिए ₹ 12.67 करोड़ का एकरारनामा (मार्च 2010) निष्पादित किया गया। अभिकरण ने अक्टूबर 2010 तक कार्य सम्पादन के लिए आश्वस्त किया। अभिकरण ने 17 जेलों में 43 जैमरों का अधिष्ठापन किया (जुलाई 2009 से जून 2011) तथा ₹ 11.72 करोड़ के विपत्र के विरुद्ध ₹ 7.55 करोड़ का भुगतान³³ प्राप्त किया (मार्च 2010 और जुलाई 2011 के बीच)।

कारा महानिरीक्षक के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2015) में पाया गया कि किसी भी जेलों में जैमर समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे (सितम्बर 2012) क्योंकि यह सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के मोबाइल सिग्नलों को अवरुद्ध करने में विफल थे। एक जाँच दल³⁴ ने भी जैमरों के अपर्याप्त कार्य प्रणाली (फरवरी और अगस्त 2011 के बीच) प्रतिवेदित किया था। कारा महानिरीक्षक द्वारा भी पाँच जेलों³⁵ में जैमरों के कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया गया (सितम्बर 2012) तथा पाया गया कि किसी भी सेल फोन के सिग्नल को अवरुद्ध नहीं किया जा रहा था। जेलों के निरीक्षण के दौरान प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा भी पाया गया (दिसम्बर 2012) कि जैमर निष्क्रिय थे। इसके उत्तर में ई.सी.आई.एल. हैदराबाद द्वारा कहा गया कि मोबाइल सेवा

³¹ यह उपकरण मोबाइल संचार में उपयोग आवृत्ति के रेडियो तरंग भेजकर सेल फोन सिग्नल को अवरुद्ध कर संचार व्यवस्था बाधित करने के लिए उपयोगी था।

³² पाँच केन्द्रीय कारागार, 11 जिला कारागार और 2 उप कारागार

³³ अधिष्ठापित जैमरों में खराबी के कारण 17 जैमरों के विरुद्ध भुगतान को लंबित रखा गया।

³⁴ ई.सी.आई.एल. के प्रतिनिधि, एन.आई.सी. और संबंधित जेल के अधीक्षक।

³⁵ गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू और राँची।

प्रदाता कंपनियों³⁶ की संख्या में वृद्धि तथा 3जी तकनीक के आने के कारण सभी मोबाईल सिग्नल को अवरूद्ध करने में अधिष्ठापित प्रणालियाँ अक्षम थे। इसके अलावा, अनियमित विद्युत आपूर्ति, बारंबार स्विच ऑन तथा ऑफ एवं यू.पी.एस. के अपर्याप्त बैक-अप इत्यादि जैमरों के कार्यप्रणाली को प्रभावित किया।

झारखण्ड के लिए 3जी तकनीकी के साथ अधिष्ठापित प्रणालियों के उन्नयन को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका था (फरवरी 2010) तथा ई.सी.आई.एल, हैदराबाद द्वारा भी 3जी तकनीकी में जैमरों के उन्नयन के लिए ₹ 4.30 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (जनवरी 2011)। इस प्रस्ताव को कारा महानिरीक्षक द्वारा गृह विभाग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया (फरवरी 2011), जिसे मार्च 2015 तक अस्वीकृत था। आधारभूत संरचना की सुदृढीकरण की दिशा में किया गया कार्य जैसे- अबाधित विद्युत आपूर्ति/पर्याप्त यू.पी.एस. बैक-अप तथा प्रशिक्षित मानव बल की प्रतिनियुक्ति लेखापरीक्षा के दौरान नहीं पाया गया।

इस प्रकार, दोषपूर्ण एकरारनामा तथा उचित तकनीकी के चुनाव में विफलता के कारण ₹ 7.55 करोड़ के व्यय के बाबजूद जैमरों की अक्रियाशीलता के अलावे कैदियों के संचार व्यवस्था को अवरूद्ध करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी। जैमरों का उन्नयन जिन कारणों के लिए रूका था, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

विभाग द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि उचित एवं प्रभावी तरीक से सेल फोन अवरूद्ध करने के लिए 3जी का उन्नयन आवश्यक था तथा सेल फोन जैमरों के 3जी में उन्नयन के लिए निर्णय लिया गया (जून 2015)। इसके आगे कहा गया कि भविष्य में दण्ड की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जैमरों से सभी 2जी सिग्नलों को भी अवरूद्ध नहीं किया जा सका जैसा कि निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट था।

ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3.3 निष्फल व्यय

बुण्डू अनुमंडलीय अस्पताल निर्माण के धीमी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 2.78 करोड़ की वृद्धि के अलावे अपूर्ण कार्य पर ₹ 2.87 करोड़ का निष्फल व्यय।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 121 के अनुसार, दूसरे विभागों की आवश्यकताओं से जुड़े या प्रारंभ किए गये प्रत्येक कार्य (मरम्मतों एवं छोटे मोटे कार्य को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) में कार्य की तकनीकी स्वीकृति लेने से पूर्व संबंधित विभाग से प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त करना जरूरी है। संबंधित विभाग द्वारा कार्य की औपचारिक स्वीकृति को कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति' कहा जाता है, और वस्तुतः, विभाग के प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित

³⁶ ई.सी.आई.एल. हैदराबाद ने प्रतिवेदित किया कि अधिष्ठापन के समय केवल भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस, एयरटेल और आईडिया 2जी सेवा प्रदान कर रहे थे किन्तु अब दूसरे सेवा प्रदाता भी यह सेवा उपलब्ध करा रहे थे।

विनिर्दिष्ट कार्य को कथित राशि पर कार्यान्वित करने हेतु लोक निर्माण विभाग को आदेश होता है। उपरोक्त संहिता का नियम 123 जिसे नियम 124 के साथ पढ़ा जाए, उल्लेख करता है कि प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया प्रस्तावों के संशोधन पर भी लागू होता है जब ऐसे संशोधन में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि या 5 प्रतिशत से अधिक अनुमोदित लागत में वृद्धि हो।

ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल (ग्रा.वि.वि.प्र.) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम-II (रा.ग्रा.रो.का.-II) राँची के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2014) से उद्घटित हुआ कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.चि.प.क.वि) ने बुण्डू अनुमंडलीय अस्पताल (बु.अ.अ.) के निर्माण हेतु ₹ 2.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) प्रदान किया (जनवरी 2007) जिसका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (मु.अ.) लघु सिंचाई, राँची के द्वारा दिया गया (मार्च 2007)। सचिव, स्वा.चि.प.क.वि. द्वारा कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रा.वि.वि.प्र. (रा.ग्रा.रो.का.-II), राँची को बु.अ.अ. के भवन के निर्माण हेतु कार्यकारिणी एजेंसी नामित (जनवरी 2007) किया गया था। उपायुक्त, राँची के आदेशानुसार (मार्च 2007), ग्रा.वि.वि.प्र. द्वारा कार्य को विभागीय रूप से कार्यान्वित किया जाना था और कार्य अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया। स्वा.चि.प.क.वि. ने मार्च 2007 से सितम्बर 2010 के बीच उपायुक्त को ₹ 2.75 करोड़³⁷ विमुक्त किया जिसे पुनः उपायुक्त द्वारा मार्च 2007 से फरवरी 2012 के दौरान का.अ. को विमुक्त किया गया। का.अ. ने सहायक अभियंता (स.अ.) को ₹ 2.70 करोड़³⁸ का अग्रिम दिया जिसके विरुद्ध मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के अनुसार किये गये कार्य (फरवरी 2012) का मूल्यांकन ₹ 2.87 करोड़ था। हालांकि, मार्च 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹ 1.51 करोड़ के अभिश्रवों का समायोजन किया गया और ₹ 1.25 करोड़ के अभिश्रवों को अगस्त 2015 तक समायोजित किये जा रहे थे। शेष ₹ 5.25 लाख ग्रा.वि.वि.प्र. के पास पड़ा हुआ था।

इसके बाद, ग्रा.वि.वि.प्र. ने वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 25,000 से अधिक के विभागीय कार्य पर रोक (अक्टूबर 2010) लगाने के कारण, फरवरी 2012 से कार्य रोक दिया। अतः शेष कार्य जैसे: वाह्य प्लास्टर, खिड़की लगाना, दरवाजा, परिष्करण कार्य इत्यादि अगस्त 2015 तक पूर्ण होने बाकी थे। हमने आगे पाया कि का.अ., ग्रा.वि.वि.प्र. ने दरों की अनुसूची (2012) में परिवर्तन के कारण ₹ 5.27 करोड़ का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जिसे मु.अ., ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची द्वारा ₹ 5.24 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (जून 2013) की गई। इसके बाद, ₹ 5.59 करोड़ के लिए प्राक्कलन को पुनः पुनरीक्षित (अप्रैल 2015) किया गया जिसकी प्र.स्वी. हेतु विभाग से अनुरोध किया गया (अप्रैल 2015)। पुनरीक्षणों में कार्य

³⁷ ₹ 1.50 करोड़- मार्च-2007, ₹ 50.00 लाख- जून 2008, ₹ 75.00 लाख-सितम्बर 2010

³⁸ ₹ 75.00 लाख-2006-07, ₹ 15.00 लाख-2007-08, ₹ 54.75 लाख-2008-09, ₹ 50.00 लाख-2009-10, ₹ 68.24 लाख-2011-12, ₹ 6.76 लाख-2012-13.

के मूल प्राक्कलन से ₹ 2.78³⁹ करोड़ अधिक (कुल लागत में 99 प्रतिशत की वृद्धि) था। विभाग द्वारा जून 2015 तक प्र.स्वी. प्रदान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, का.अ., ग्रा.वि.वि.प्र., राँची द्वारा विभागीय कार्य को तय समय में पूर्ण करने में विफल रहने के कारण, मार्च 2007 में ₹ 2.81 करोड़ का स्वीकृत कार्य सात वर्षों के बीत जाने के बावजूद अपूर्ण रहा जिसपर ₹ 2.87 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। यह बुण्डू अनुमंडल में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने में विफल रहा।

देरी के कारण कार्य की लागत में 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ₹ 5.59 करोड़ के लिए पुनरीक्षित किया गया जिसे अभी तक अनुमोदित किया जाना बाकी है।

का.अ. ने कहा (अगस्त 2015) कि प्रधान सचिव, स्वा.चि.प.क.वि, झारखण्ड, राँची को पुनरीक्षित प्र. स्वी. और निधि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2015); स्मार-पत्रों⁴⁰ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

ग्रामीण कार्य विभाग

3.3.4 अपूर्ण सड़क पर निष्फल व्यय

विभाग द्वारा ससमय कदम उठाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप तीन से पाँच वर्षों के लिए अपूर्ण सड़कों पर ₹ 1.57 करोड़ का निष्फल व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.ग्रा.स.यो.) की मार्गदर्शिका की कंडिका 13.1(iv) के अनुसार निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई समयावधि तथा कार्य योजना का कड़ाई से पालन किया जाना था तथा देरी/विलम्ब होने पर संवेदक के विरुद्ध करारनामा के प्रावधानानुसार आवश्यक रूप से कार्रवाई किया जाना चाहिए था। मानक निविदा दस्तावेज भी संवेदक द्वारा अभियंता की मंजूरी के बिना 28 दिन से अधिक समय तक काम रोककर निविदा के शर्तों को तोड़ने पर, करारनामा खत्म करने का प्रावधान करता है। पुनः, इंडियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.) की कंडिका 4.8.2 के मानक विशिष्टता तथा वाटर बाउंड मैकाडम (वा.बा.मै.) के लिए व्यवहारिक संहिता के अनुसार आधार मार्ग पर बिटुमिनस सतहीकरण किया जाना है। बिटुमिनस सतहीकरण, वा.बा.मै. सतह के पूरी तरह सूखने तथा इस पर यातायात की मंजूरी दिए जाने के पूर्व किया जाएगा।

मुख्य अभियंता (मु.अ.), झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण (झा.रा.ग्रा.प.वि.प्रा.), ने दो सड़कों जैसे:- संसंग से सोस (चंदवा प्रखण्ड, लातेहार में 3.70 कि.मी.) तथा ओल्हेपट से मसियातु (बालूमाथ प्रखण्ड, लातेहार में 3.30 कि.मी.) के निर्माण तथा 5 वर्ष तक अनुरक्षण हेतु ₹ 2.60 करोड़ के अनुमानित लागत की स्वीकृति (नवम्बर 2008) दी। कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य

³⁹ ₹ 5.59 करोड़ - ₹ 2.81 करोड़

⁴⁰ स्मारपत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2014-15/95 दिनांक: 5 अगस्त 2015, 206 दिनांक: 8 सितम्बर 2015, 245 दिनांक: 12 अक्टूबर 2015 और 252 दिनांक: 6 नवम्बर 2015

प्रमंडल (ग्रा.का.प्र.), लातेहार ने एक संवेदक के साथ अप्रैल 2010 तक कार्य पूर्ण करने हेतु ₹ 2.42 करोड़ का अनुबंध संपादित (अप्रैल 2009) किया।

ग्रा.का.प्र., लातेहार के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2015) में उद्घटित हुआ कि सड़कों के निर्माण के अनुबंध में गैनुलर सब बेस कोर्स, दो सतहों में वा.बा.मै., प्राईमर कोट, प्रीमिक्स कारपेट और सील कोट का प्रावधान किया गया था। हमने आगे पाया कि संवेदक ने केवल वा.बा.मै. स्तर तक का कार्य किया (मार्च 2010: संसंग से सोस सड़क और जून 2012: ओल्हेपट से मसियातू सड़क) तथा ₹ 1.57 करोड़ का भुगतान प्राप्त (अगस्त 2012) किया।

उसके बाद, संवेदक ने का.अ. के निर्देशों के विरुद्ध कार्य रोक दिया (दिसम्बर 2013)। मार्च 2014 में अधीक्षण अभियंता ने अनुबंध रद्द करने का आदेश दिया, जिसके जवाब में का.अ. ने अनुबंध रद्द करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की तथा संवेदक को काली सूची में डालने की अनुशंसा की। लेकिन न तो अनुबंध रद्द किया गया न ही का.अ. द्वारा बिटुमिनस कार्य को पूर्ण करने हेतु कोई कार्रवाई की गई (जुलाई 2015)।

इस प्रकार, दोनो सड़कें जुलाई 2015 तक अपूर्ण थीं और प्र.ग्रा.स.यो. का सभी मौसमों में समतल सड़क की सुविधा देने का परिकल्पित उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका। पुनः, संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (जुलाई 2015) के अनुसार दोनो सड़कों के वा.बा.मै. सतह, समय बीत जाने और बिटुमिनस कार्य का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण काफी क्षतिग्रस्त⁴¹ हो चुके थे।

इस प्रकार, का.अ. द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार दोनो सड़कों के कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में विफल होने के कारण वा.बा.मै. सतह पर बिटुमिनस सतह का कार्यान्वयन तीन से पाँच वर्षों तक नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप अपूर्ण सड़कों पर ₹ 1.57 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा इसके अलावे अपूर्ण सड़क की अत्यधिक टूट-फुट उन गाड़ियों के कारण हुई जो सड़कों के इस्तेमाल के लिए मजबूर थीं।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर का.अ. ने जवाब दिया (जनवरी 2015) कि संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार अनुरोध किया गया था। हालांकि, उसने निर्देशों का पालन नहीं किया। का.अ. ने आगे कहा (जून 2015) कि अनुबंध रद्द करने हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं था चूँकि अनुबंध के खण्ड के अनुसार संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई और सभी मौसम में काले सतह वाली सड़क सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

⁴¹ (i) चंदवा प्रखण्ड में संसंग से सोस-जीआर III (60 प्रतिशत) जीआर II (50 प्रतिशत) और (ii) बालूमाथ प्रखण्ड में ओल्हेपट से मसियातु- जीआर III (50 प्रतिशत) जीआर II (40 प्रतिशत)

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2015); स्मारपत्रों⁴² के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3.5 उद्देश्यों की गैर-पूर्ति

डी.सी.आई. मानदंडों के अनुसार विविध गतिविधियों के उचित समन्वयन नहीं होने के परिणामस्वरूप निष्क्रिय (व्यर्थ) पड़े दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल भवन के निर्माण पर ₹ 9.54 करोड़ का व्यय।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम, 2002, की धारा 6(VI) चिकित्सा के विद्यार्थियों को पढ़ाने एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक दंत महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना का आदेश देता है। पुनः, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डी.सी.आई.) के मानदंडों के अनुसार, एक दंत महाविद्यालय केन्द्र सरकार, डी.सी.आई. से पूर्वानुमति और संबंधित विश्वविद्यालय की संबद्धता ले लेने के पश्चात् गठित की जानी चाहिए।

सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने दंत महाविद्यालय और अस्पताल भवन के निर्माण के लिए ₹ 8.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (जनवरी 2006) और कार्यकारी अभियंता, एन.आर.ई.पी.-II, राँची को कार्यकारी अभिकरण के रूप में ₹ 9.54 करोड़ की लागत से भवन निर्माण पूर्ण करने⁴³ (अक्टूबर 2013) की स्वीकृति प्रदान की।

अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2014) से उद्घटित हुआ कि रिम्स ने यंत्रों/उपकरणों की खरीद हेतु निधियों की स्वीकृति और चिकित्सा एवं पारा-चिकित्सा कर्मचारियों के पद के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव (दिसम्बर 2012) भेजा। लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकन किया गया कि चिकित्सा और पारा-चिकित्सा कर्मचारियों के पद राज्य सरकार द्वारा अंततः मई 2015 में मंजूर किए गए और जून 2015 तक यंत्रों/उपकरण की खरीद हेतु निधियों की स्वीकृति बाकी थी।

निदेशक, रिम्स ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2014-15 के शैक्षणिक सत्र से दंत संस्थान, राँची के नाम से नए दंत महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान करने का भी अनुरोध (नवम्बर-दिसम्बर 2013) किया था। तदनुसार, डी.सी.आई. नई दिल्ली ने दंत महाविद्यालय खोलने की व्यवहार्यता के लिए दंत महाविद्यालय, रिम्स की आकलन (मई 2014) में की गयी लेकिन पदों और उपकरण के संबंध में कई कमियाँ मिलीं। इसलिए, डी.सी.आई. द्वारा अनुमोदन की अनुमति नहीं दी गयी।

⁴² स्मार: पत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2014-15/78 दिनांक: 21 जुलाई 2015, 118 दिनांक: 21 अगस्त 2015, 219 दिनांक: 22 सितम्बर 2015 और 254 दिनांक: 6 नवम्बर 2015

⁴³ दंत महाविद्यालय तथा अस्पताल भवन की पूर्णता में देरी वर्ष 2009-10 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल व वाणिज्यिक) के पाराग्राफ 1.2.8.5 में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

जुलाई 2015 में यह मामला राज्य सरकार को प्रेषित किया गया और जवाब में राज्य ने कहा (सितम्बर 2015) कि मई 2015 में दंत महाविद्यालय के पदों की स्वीकृति दी जा चुकी थी और दंत महाविद्यालय का भवन जुलाई 2015 में पूरा हो चुका था। हालाँकि, यह हस्तांतरण की प्रक्रिया में थी। आगे कहा गया कि अनुमोदित पदों के लिए बहाली और यंत्र और उपकरण की खरीद अभी प्रक्रियाधीन थी, अतः खर्च व्यर्थ नहीं था।

राज्य सरकार का जवाब ई.ई. द्वारा अक्टूबर 2013 में प्रदत्त समापन प्रतिवेदन के विरोधाभासी था जो कि महत्वपूर्ण गतिविधियों अर्थात् महाविद्यालय भवन का निर्माण, उपकरण की खरीद, कर्मचारी की नियुक्ति और डी.सी.आई. की स्वीकृति प्राप्त करने में उचित समन्वय के अभाव को दर्शाता है। दंत महाविद्यालय और अस्पताल सितम्बर 2015 तक राज्य सरकार के अनुमोदन के नौ वर्ष पश्चात् और इसके भौतिक रूप से पूर्ण होने के दो वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो पाया है।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.54 करोड़ की लागत से बना भवन बेकार पड़ा है और राज्य दंत पेशेवरों से वंचित है जबकि बड़ी संख्या में जनता को सरकारी अस्पताल में इलाज का लाभ नहीं मिला।

3.4 सतत एवं व्यापक अनियमितताएँ

यदि अनियमितताएँ वर्ष प्रति वर्ष होती रहती हैं तो वे सतत अनियमितताएँ हैं। इसके सम्पूर्ण तंत्र में रहने के कारण यह व्यापक हो जाती है। पूर्व के लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद अनियमितताओं का पुनः होना कार्यपालिका के पक्ष में न केवल अगंभीरता को दर्शाता है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है। बदले में यह नियम/विनियम की जानबूझ कर अनदेखी करने को प्रोत्साहित करता है तथा प्रशासनिक ढाँचे को कमजोर करने के परिणाम के रूप में आता है। एक महत्वपूर्ण मामला पाया गया जो नीचे विमर्शित है:

ग्रामीण कार्य विभाग

3.4.1 निष्फल व्यय

पर्यावरण निर्बाधन सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ करने के कारण कार्य को रोकना पड़ा परिणामस्वरूप ₹ 2.78 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड के पत्र⁴⁴ के अनुसार, नेशनल पार्क/ वन्यप्राणी आश्रयणी के अंदर कालीकरण कार्यों के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ (एन.बी.डब्ल्यू.एल.) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार प्रदत्त समिति से पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त करना अनिवार्य है।

मुख्य अभियंता (मु.अ.), ग्रामीण अभियांत्रिकी संस्थान (ग्रा.अ.सं.)-सह-झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण (झा.रा.ग्रा.प.वि.प्रा.) ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीन

⁴⁴ पत्र सं-968 दिनांक 07 नवम्बर 2006

₹ 4.18 करोड़ मूल्य के सड़क⁴⁵ निर्माण एवं रख रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति (दिसम्बर 2007) प्रदान की तथा एक संवेदक को ₹ 4.16 करोड़ का अनुबंध (सितम्बर 2008)। कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य प्रमंडल, चतरा ने सितम्बर 2009 तक कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक के साथ एक अनुबंध किया (सितम्बर 2008)।

ग्रामीण कार्य प्रमंडल (ग्रा.का.प्र.), चतरा के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2014) से उद्घटित हुआ कि कार्य का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार (मई 2007) करने के दौरान भूमि को 'बंजर या कृषि भूमि' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और तदनुसार का.अ., ग्रा.का.प्र. ने निविदा आमंत्रण की सूचना⁴⁶ (एन.आई.टी.) प्रकाशित (मार्च 2008) किया तथा कार्य आदेश जारी किया (सितम्बर 2008)।

हालाँकि, वन प्रमंडल पदाधिकारी (व.प्र.पदा.), वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग ने एन.आई.टी. प्रकाशित करने तथा प्रस्तावित सड़क निर्माण वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में पड़ने के कारण आपत्ति (नवम्बर 2008) की। उन्होंने आगे का.अ. से विहित प्रारूप में आवश्यक जानकारी समर्पित कर पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जिसके बिना कालीकरण कार्य का कार्यान्वयन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा।

हमने आगे पाया कि का.अ. ने व.प्र.पदा. के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की तथा बिना पूर्व पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त किए वाटर बाउंड मैकाडम (डब्लू.बी.एम.) ग्रेड-III (अप्रैल 2010) स्तर तक का कार्य पूर्ण किया। हालाँकि, उन्होंने व.प्र.पदा. से अनुरोध (अप्रैल 2010) किया कि डब्लू.बी.एम. सतह पर कालीकरण कार्य करने की अनुमति दी जाए क्योंकि 25 अक्टूबर 1980 से पहले निर्मित सड़क के लिए पर्यावरण निर्बाधन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन व.प्र.पदा. ने निर्माण कार्य पर आपत्ति (मई 2010) की, क्योंकि यह वन्य भूमि क्षेत्र की सीमा से 10 किमी के फैलाव के भीतर था। वन्य विभाग द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद प्रमंडल ने कार्य नहीं रोका तथा ₹ 2.78 करोड़ मूल्य के कार्य को पूर्ण किया (मार्च 2011)।

इसी बीच, अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) ने का.अ. को वन विभाग से निर्बाधन/अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया (जुलाई 2010 एवं अक्टूबर 2010) और ऊपरी पक्की परत पर मोरम बिछाने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2010)। पुनः, का.अ. ने मु.अ., झा.रा.ग्रा.प.वि.प्रा. को सूचित (जुलाई 2012) किया कि डब्लू.बी.एम. ग्रेड-III स्तर तक के निर्मित सड़क का 40 से 45 प्रतिशत बारिश, क्षरण या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तदनुसार, प्रमंडल ने मोरम बिछाने और सतह सुधार हेतु ₹ 35.59 लाख का प्राक्कलन समर्पित किया जिसकी स्वीकृति (जुलाई 2013) मु.अ. द्वारा दी गई तथा का.अ. ने उसी संवेदक को कार्य आदेश जारी किया (जुलाई 2013)।

⁴⁵ मधनिया से सेहदा पी.एम.जी.एस.वाई. के पैकेज स. जे.एच. 0201, फेज V (लंबाई-13.70 कि. मी.)

⁴⁶ एन आई टी सं-06/2007-08 दिनांक 29 मार्च 2008 के द्वारा प्रकाशित

व.प्र.पदा. ने का.अ. को पुनः सूचित (जुलाई 2013) किया कि किसी कार्य का कार्यान्वयन नहीं किया जाए चूँकि एन.बी.डब्लू.एल. से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी, अन्यथा विधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद का.अ. द्वारा कार्य स्थगित कर दिया गया (जुलाई 2013)।

इस प्रकार, का.अ. द्वारा संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध कार्यों का निष्पादन, वनक्षेत्रों में कालीकरण कार्यों के लिए पर्यावरण निर्बाधन का न होना, एन.बी.डब्लू.एल. के शर्तों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के साथ-साथ व.प्र.पदा. के बारंबार दी गई चेतावनी तथा विरोध के परिणामस्वरूप ₹ 2.78 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। पी.एम.जी.एस.वाई. के अभिष्ट उद्देश्यों को भी नहीं पाया जा सका।

इंगित किये जाने पर, का.अ. ने बताया (मार्च 2014) कि मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्च प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2015); स्मारपत्रों⁴⁷ के बावजूद उनका जवाब अप्राप्त है (नवम्बर 2015)।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4.2 निरर्थक व्यय

विभाग द्वारा विविध गतिविधियों अर्थात् अस्पताल भवन का निर्माण, आवश्यक पदों की स्वीकृति प्राप्त करना और उपकरण और दवाओं की आपूर्ति के उचित समन्वयन में विफल रहने के परिणामस्वरूप मातृ व शिशु कल्याण अस्पताल पर ₹ 3.54 करोड़ का निरर्थक व्यय।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड के शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए, सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग (विभाग), झारखण्ड ने पेटरवार, बोकारो में मातृ और शिशु कल्याण केंद्र को 30-बिस्तर वाले मातृ और शिशु कल्याण अस्पताल में बदलने हेतु ₹ 3.54 करोड़ के एक प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति (नवम्बर 2008) प्रदान की।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2014) से उद्घटित हुआ कि ₹ 3.54 करोड़ का व्यय करने के पश्चात कर्मचारी आवासों सहित मातृ और शिशु कल्याण अस्पताल पूर्ण हुआ और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पेटरवार, बोकारो को सौंपा गया (जून 2013)। हमने आगे देखा कि इस केंद्र हेतु गुणवत्ता युक्त प्रसव और प्रसव-पूर्व देख-भाल संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के मानक मानदंड के अनुरूप 53 कर्मचारियों⁴⁸ के पद की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को एक प्रति देते हुए प्रशासी पदवर्ग समिति को एक प्रस्ताव विभाग द्वारा दो वर्ष के विलंब से सौंपा गया (जून 2015)। फिर भी, जून

⁴⁷ स्मारपत्र सं रिपोर्ट(सिविल)/ए.आर./2014-15/120 दिनांक 21 अगस्त 2015, 221 दिनांक 22 सितम्बर 2015 और 256 दिनांक 6 नवम्बर 2015.

⁴⁸ चिकित्सा और पारा चिकित्सा कर्मी, पहरेदार और सफाई कर्मी।

2015 तक पदों की स्वीकृति नहीं मिली। पुनः, उपकरण और दवाइयों की आपूर्ति भी अस्पताल को नहीं हुई। फलस्वरूप, गुणवत्ता युक्त प्रसव और प्रसव-पूर्व देखभाल संबंधी सेवाएँ इस केंद्र से अस्पताल परिसर के पूर्ण होने के दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भी शुरू नहीं हो सकीं।


इस प्रकार, विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उचित समन्वय स्थापित नहीं कर पाने के परिणामस्वरूप मातृ और शिशु कल्याण अस्पताल और कर्मचारी आवास, पेटरवार, बोकारो के निर्माण में ₹ 3.54 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और मातृ और शिशु देख-भाल केंद्र को 30 बिस्तर वाले अस्पताल में बदलने का अभिष्ट उद्देश्य भी विफल हुआ।

इस मुद्दे को इंगित किये जाने पर असैन्य शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बोकारो ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जून 2015) कि मातृ और शिशु कल्याण अस्पताल कर्मचारी, उपकरण और दवाइयों के अभाव में अक्रियाशील बना हुआ था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2015); उनके उत्तर स्मार पत्रों⁴⁹ के बावजूद अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

राँची

दिनांक : 05 फरवरी 2016



(एस. रमण)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 09 फरवरी 2016



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

⁴⁹ स्मार पत्र: संख्या रिपोर्ट(सिविल)/ए.आर./2014-15/122 दिनांक 21 अगस्त 2015, 225 दिनांक 22 सितम्बर 2015 और 260 दिनांक 6 नवम्बर 2015